





Constitution of India

Level- Hard

1.

Ans: c

Explanation: Dicey does not recognise the Constitution as a source of the right of individuals. According to him the Constitution is the result of the ordinary law of the land, the rules as defined and enforced by the Courts.

1.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: डाइसी संविधान को व्यक्तियों के स्रोत के अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है । उनके अनुसार संविधान देश के सामान्य कानून, न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू नियमों का परिणाम है।

2.

Ans: d.

Explanation: A.K. Gopalan v. State of Madras,
Supreme Court called Article 22 of the
Constitution as "Ugly provision of the
Constitution".

2.

उत्तर: डी.

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 22 में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22 को "संविधान का बदसुरत प्रावधान" कहा।

3.

Ans: c

Explanation: Supreme Court cannot give a direction for amending an Act.

3.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: सर्वोच्च न्यायालय किसी अधिनियम में संशोधन के लिए निर्देश नहीं दे सकता है। 4.

Ans: a

Explanation: L/w Part IV (Article 36-51) DPSP which are fundamental in the Governance of state.

4.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w भाग IV (अनुच्छेद 36-51) DPSP जो राज्य के शासन के लिए आधारभूत हैं।

5.

Ans: b

for the post of Governor shall be 35 years.

5.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

6.

Ans: b

Explanation: "Auto Shankar case". The Supreme Court has expressly held that "right to privacy" or the "right to be alone" is guaranteed by Article 21 of the Constitution.

6.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: ऑटो शंकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि "निजता का अधिकार" या अकेले रहने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत है।















Ans: d

Explanation: L/w Article 85, 174. The power to prorogate the House is vested in the President. Prorogation merely ends a session. The House meets again after prorogation.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 85, 174 सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सत्रावसान केवल एक सत्र समाप्त करता है। सत्रावसान के बाद सदन फिर से मिलता है।

8.

Ans: a

Explanation: L/w Article 75(3). The principle of collective responsibility means that the council of Ministers is as a body responsible to the Lok Sabha for the general conduct of affairs of the Government.

8.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 75(3) सामूहिक रूप से उत्तरदायी जिम्मेदारी के सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सरकार के सामान्य संचालन के लिए लोकसभा के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में है।

9.

Ans: b

Explanation: Discrimination by law in the marriageable age of a boy (21 years) and girl (18 years) does not offend **Article 14 of the Constitution**

9.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: लड़के (21 वर्ष) और लड़की (18 वर्ष) की विवाह योग्य आयु में कानून द्वारा भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

10.

Ans: d

Explanation: In Deep Chand v. State of U.P. & Mahendra Lal Jain v. State of U.P. it was held that the doctrine of eclipse does post-constitutional amendment & cannot revive it.

10.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद दीप चंद बनाम यूपी राज्य और महेंद्र लाल जैन बनाम यूपी राज्य में दिए गए फैसले में यह माना गया कि ग्रहण का सिद्धांत संवैधानिक संशोधन के बाद लागू नहीं होता है और इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता है।

11.

Ans: c

11.

उत्तर: सी

12.

Ans: d

Explanation: The concept of Bag **Borrowing. The Indian Constitution has** borrowed the ideas of Preamble from the Constitution of USA.

12.0 WS.COM

उत्तर: डी

स्पष्टीकरणः उधार के थैले की अवधारणा। भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के विचारों को लिया है।















Ans: d

Explanation: In Kesawananda Bharati case, it was held by the Supreme Court that 'Preamble' is the basic feature of the Constitution.

13.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'प्रस्तावना' संविधान की मूल विशेषता है।

14.

Ans: c

14.

उत्तर: सी

15.

Ans: a

15.

उत्तर: ए

16.

Ans: c

Explanation: The concept of **Borrowing.** The Indian Constitution has borrowed the concept of Directive Principle of the State Policy from Ireland.

16.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: उधार के थैले की अवधारणा। भारतीय संविधान ने आयरलैंड से राज्य नीति के निदेशक तत्व को लिया है।

17.

Ans: c

Explanation: The term "law in force" in clause (3) of Article 13 means both statutory law & customs and usages.

17.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 13 के खंड (3) में " प्रवृत विधि" शब्द का अर्थ वैधानिक कानून और रूढ़ि और प्रथा दोनों है।

18.

Ans: b

18.

उत्तर: बी

19.

Ans: b

Explanation: L/w Article 21A Right to education is a fundamental right emanating from right to Culture and education under Article 29 and 30.

19.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से निकला है।

20.

Ans: d

Explanation: Right to assemble peaceably and without arms is guaranteed to citizens as freedom of religion under Article 19(b).

20.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 19(ख) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मलेन का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है।

21.

Ans: d

21.

उत्तर: डी









support@linkinglaws.com







22.

Ans: c

Explanation: L/w Article 32, 139, 226 issuance of writ of mandamus relates to Nonperformance of public duty.

22.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w अनुच्छेद 32, 139, 226 परमादेश की रिट जारी करना लोक कर्तव्य के गैर- निष्पादन से संबंधित है।

23.

Ans: a

23.

उत्तर: ए

24.

Ans: c

24.

उत्तर: सी







